

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्थ) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

नवान देशराज बनाम गरीबती देवी आदि
 करण संख्या 62 / 2021 अन्तर्गत धारा 312 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
12/24	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। अप्रार्थी सं. 6 न को संक-2 कर उ वार आवाज लगावाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी सं. 6 व 7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5, 8 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया जाता है। जवाब से बंद किया जाता है। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 312 RTA पर सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 312 RTA स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 02/08/2021 को मूलवाद के विण्य तक रूचायी किया जाता है। पत्रावली विण्य होकर नम्बर से कम होकर के मूलवाद के विण्य साथ सेलगत है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थ)
 श्री करणपुर